

निर्देशिका

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

उपनिरीक्षक ना0पु0/खादून कमाण्डर पीएसी की सीधी गती की परीक्षा-2001

आगेका पत्र प्राप्त करने की आदिता तिथि- 15 अगस्त

उ0प्र0 पुलिस बल/पीएसी में उपनिरीक्षक, ना0पु0 के 799 पुरुष एवं 89 महिला उपनिरीक्षक तथा खादून कमाण्डर पीएसी के 99 पुरुष जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अतिनीत पद सम्मिलित हैं (आवश्यकतानुसार रिक्तियों परितर्तनीय हैं) के लिए आदिदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आदिता की पद को रिक्त अथवा रक्षित रख सकता है। इससे सम्बन्धित परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्माण, तंत्वादन एवं पत्रिका में करायी जायेगी। इस पद की न्यूनतम आर्तताएँ एवं प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित सूचनाये निम्नांकित हैं:-

सरकार द्वारा निम्नलिखित संख्या में उप निरीक्षक ना0पु0/खादून कमाण्डर पीएसी के प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार चुने जायेंगे तथा आवश्यक प्रशिक्षण के पश्चात उप निरीक्षक ना0पु0/खादून कमाण्डर पीएसी अभ्यर्थियों को स्वाधीनी पदों पर खपया-5500-175-9000 वेतनकम (Pay Scale) में नियुक्त किया जायेगा। पुलिस रेगुलेशन के प्रतर-534 के प्रावधान के हतैत हुए भी निर्धारित प्रशिक्षण में सफल होने के पश्चात अभ्यर्थियों को आरम्भ में अस्थायी पदों पर ही नियुक्त किया जायेगा बसते कि पद उपलब्ध हैं। उरके उपरन्त शिस्त-बैतै स्वाधीनी पद रिक्त होने, उन्हें स्वाधीनी रूप से नियुक्त किया जाये पर शिखर किया जायेगा। उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

(1) शैक्षिक आर्तताएँ

- (क) अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को किरती मास्यता प्राप्त शिक्षासलय पत्र रेजुएट(स्नातक) या समतुल्य होना चाहिए।
- (ख) सेना के नियमित कर्मचारी की शैक्षिक मास्यता इण्टरमीडियट होगी।
- (ग) वे अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी भी जो स्नातक के आदिता तर्क की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं और परीक्षाफल योग्य ग हुआ है, इस शर्त पर आदिदन पत्र के पत्रों से एक यदि वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो उगात आदिदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(2) आयु सीमा

1 जुलाई 2001 को अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात उरकी जन्मतिथि 1-7-1976 के पदों एवं 1-7-1980 के पदों की है।

आयु सीमा में छूट



निम्नाशिक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की प्रथमतः पद हेतु निर्धारित आयु की सीमाओं के पत्र आदिता द्वारा समस-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार



✓

- 17- आवेदन पत्र का प्रारूप :- संलग्न है।
- 18- प्रारम्भिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा का पाठ्यक्रम (परिशिष्ट "क")
- 19- मुख्य शिक्षित परीक्षा का पाठ्यक्रम (परिशिष्ट "ख")
- 20- अधिसूचना सं० 488/सब-वि-1(क)6-1994, दिनांक 23 मार्च 1994 द्वारा जारी उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़ी जातियों/वर्गों की सूची।
- 21- हरिजन सहायक अनुभाग के शासनादेश संख्या 6744/26-77-17(21)74, दि० 29 अगस्त 1977 में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची।

पुलिस उपमहानिरीक्षक "स्थापना"
एच. साध्वि, पुलिस/पी०प०सी० नर्सि चोर्ड,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

नोट:-


उपरोक्त विज्ञापन में वर्णित प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3, प्रपत्र-4, परिशिष्ट 'क', परिशिष्ट 'ख', अनुसूची-एक, अनुसूची-दो इस विज्ञापन में नहीं छपे जा रहे हैं। उक्त सभी प्रपत्रों, परिशिष्टों तथा अनुसूचियों की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक जिला प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। विज्ञापन का प्रारूप व अन्य संबंधित प्रपत्र, सूचनाएं उ०प्र० पुलिस विभाग की वेब साइट <http://www.uppolice.org> पर भी उपलब्ध हैं।



आदेश

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती सत्र-2001 उ0प्र0 पुलिस पी0ए0सी0 भर्ती बोर्ड को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री श्याम सुन्दर यादव अनुक्रमांक: 04404217 को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के बेसिक प्रशिक्षण हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय/सीतापुर एतद् द्वारा आवंटित किया जाता है। बेसिक प्रशिक्षण दिनांक. 01-12-2005 से प्रारम्भ होगा। यह चयन/बेसिक प्रशिक्षण विभिन्न न्यायिक आचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन रहेगा। प्रशिक्षण के लिये यह अभ्यर्थी रूपया-1,000/- (एक हजार रूपये मात्र) नियत स्टाइपेण्ड के रूप में प्राप्त करेगा। अभ्यर्थी का स्थायी/अस्थायी पता निम्नवत् है:-

स्थायी पता	अस्थायी पता
दोहारा (अवरही), पोस्ट: तिरमा साहुन, थाना: तुकपट्टी, जनपद: कुशीनगर।	सी-307 निराला नगर, पोस्ट: निराला नगर, थाना: हसनगंज, जनपद: लखनऊ।


 के.पी. सिंह
 पुलिस उपाधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ,
 नि0पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
 उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-।

संख्या:पौच-111(प्रशिक्षण)2001 दिनांक: नवम्बर 10, 2005

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थियों के आगमन पर प्रथमतः उनका चिकित्सा परीक्षा परिषद से स्वास्थ्य परीक्षण दिनांक: 30-11-2005 को कराकर उपयुक्त (फिट) अभ्यर्थियों का आगमन प्रशिक्षण हेतु करायें तथा अनुपयुक्त पाए जाये अभ्यर्थियों की सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायें तथा अग्रिम आदेश/निर्देश तक उनके आगमन को कार्यवाही स्थगित रखें।

परिष्ठा/पुलिस अधीक्षक लखनऊ/कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे चयनित अभ्यर्थी को सम्बन्धित थाने के माध्यम से बिलम्बतम 03 दिवस के अन्दर अवश्य आगमन कराने की व्यवस्था करें, तथा इससे पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करायें।

श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री श्याम सुन्दर यादव (पता उपरोक्त) को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं जाति प्रमाण पत्र यथा अन्य आवश्यक/अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित अपने व्यय पर निर्धारित तिथि को अस्थायी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद के बेसिक प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में आमद के लिये दिनांक- 29-11-2005 को उपस्थित हो। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश निर्देश की एक प्रति अनुपालन हेतु परिशिष्ट "ख"(1) एवं क(2) संलग्न है।

यदि उपरोक्त नियत तिथि व समय के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के आगमन नहीं होते है तो वे भविष्य में प्रशिक्षण के अवसर से वंचित कर दिये जायेंगे और उनका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा। अभ्यर्थी को इस प्रशिक्षण हेतु शासन को अग्रिम कोई मात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

श्री कृपया संलग्न निर्देशों का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें, तथा उसमें अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। बन्ध पत्र के संलग्न दो प्रारूप परिशिष्ट "ख"- (1) परिशिष्ट क(2) क्रमशः रूपये 32/- एवं 42/- के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित करके प्रत्येक से सत्यापित कराकर अपने साथ लेकर आवंटित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को प्रस्तुत करें।

प्रशिक्षण केन्द्र के लिये निर्देश क (1) एवं क (2) संलग्न है।

कार्यमुक्त करने संबंधी आदेश


आदेश

इस जनपद में नियुक्त उपनिरीक्षक ना0पु0 श्री अशोक कुमार यादव को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 के विज्ञपति संख्या:1247/दो-4-09-32(1)/2008 दिनांक:1-4-2009 के द्वारा वेतनमान रू0 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से चयनित किये जाने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन संख्या: 1383/ए-आर(एस)2009 दिनांक:20-6-2009 के द्वारा एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन हमीरपुर में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्रांक: पाँच-700(अनुमति)2008 दिनांक:10-7-2009 द्वारा इनको कार्यमुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 श्री अशोक कुमार यादव की एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन हमीरपुर के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 पुलिस विभाग से कार्यमुक्त किये जाने हेतु दिनांक: 10-7-2009 निर्धारित की जाती है।

संख्या:त-221/2009

दिनांक:जुलाई 13, 2009


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
गाजियाबाद।

- 1- प्रतिलिपि: पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या:पाँच-700 (अनुमति)-08 दिनांक:10-7-2009 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
- 2- प्रतिलिपि: पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र,मेरठ को सूचनार्थ।
- 3- प्रतिलिपि: जिला जज हमीरपुर को सूचनार्थ।
- 4- प्रतिलिपि: प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने हेतु।
- 5- प्रतिलिपि: उपनिरीक्षक ना0पु0 श्री अशोक कुमार को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
- 6- प्रतिलिपि: आंकिक को सूचनार्थ।

कार्यभार ग्रहण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) हमीरपुर का पदभार माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति सं0 1408/ए0आर0(एस0)/2009 दिनांकित 29.6.09 के अनुपालन में जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है आज दिनांक 15.7.2009 की अपराह्न में ग्रहण किया।

मोचक अधिकारी

अशोक कुमार यादव
15/07/09
(अशोक कुमार यादव)

प्रति हस्ताक्षरित

जनपद न्यायाधीश
हमीरपुर

जनपद न्यायाधीश
हमीरपुर [30 प्र0]

कार्यालय जनपद न्यायाधीश हमीरपुर

पत्रांक 949 / प्रथम-17-2009 दिनांकित : जुलाई 15, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
- 2- सहायक निबन्धक(सेवाये), माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
- 3- संयुक्त निबन्धक (कम्प्यूटर) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
- 4- सचिव उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग -4 लखनऊ ।
- 5- संयुक्त निदेशक (कोषागार) कैम्प आफिस प्रथम तल नवीन कोषागार भवन कचहरी रोड इलाहाबाद ।
- 6- प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उ0प्र0 शासन लखनऊ ।
- 7- निजी सचिव, माननीय निरीक्षक न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी हमीरपुर ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी ।
- 10- बिल लिपिक ।

P. S. Swastika
15-7-09
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय हमीरपुर
Senior Administrative Officer
District Judge's Court
Hamirpur (U.P.)

Ch.Cer.

4

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव-तृतीय,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झांसी।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

विषय: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में की गई सेवा को वर्तमान न्यायिक सेवा के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी न्यायिक सेवा में आने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के रूप में जनपद गाजियाबाद में नियुक्त था तथा पुलिस विभाग से विभागीय अनुमति प्राप्त कर न्यायिक सेवा में सम्मिलित हुआ था। प्रार्थी का उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन होने के उपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद की अनुमति से दिनांक 14.07.2009 को निर्मुक्त होकर, माननीय उच्च इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-1408/ए.आर.(एस)/2009 दिनांकित-29.06.2009 के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक-15.07.2009 को न्यायिक सेवा में अपर सिविल जज (जू०डि०), हमीरपुर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रार्थी की पुलिस विभाग से संबंधित सेवा पुस्तिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के कार्यालय में अनुरक्षित है।

प्रार्थी की पूर्व में की गई सेवा से सम्बन्धित अवधि वर्तमान न्यायिक सेवा में अभी तक नहीं जुड़ी है। जबकि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में दी गयी सेवा भी उत्तर प्रदेश शासन के अधीन है एवं प्रार्थी की सेवा अवधि निर्बाधित रही है और इसके न जोड़े जाने से प्रार्थी की सेवा की अवधि बाधित हो रही है, जिससे प्रार्थी प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से वंचित रह सकता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में की गई सेवा को वर्तमान न्यायिक सेवा में जोड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तत्सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें। प्रार्थी की सेवा पुस्तिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद (उ०प्र०) से मंगाकर उक्त सेवा अवधि को जोड़ने की कृपा करें। आपकी महती कृपा के लिए प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।


सादर!

दिनांक-25.11.2021

संलग्नक-

1. निर्मुक्ति आदेश की छायाप्रति।
2. कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
3. उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति प्रार्थनापत्र की छायाप्रति।
4. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नोटिफिकेशन की छायाप्रति

भवदीय,


(अशोक कुमार यादव-तृतीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी।